संसदीय लोकतंत्र पर डा॰ अम्बेडकर के विचार विषयक संगोष्ठी में
महामहिम राज्यपाल, बिहार **श्री राम नाथ कोविन्द** का सम्बोधन
(स्थान–लॉ अडोटोरियम, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़,
दिनांक 30.08.2016, समय–11.00 पूर्वाह्न)

इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में प्रमुख रूप से उपस्थित हरियाणा प्रदेश के महामहिम आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष डॉ॰ चरणजीत सिंह अटवाल जी, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ ए॰ के॰ ग्रोवर जी, संगोष्ठी में पधारे विद्वद्जन, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, छात्रगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों !

मित्रों, आज पंजाब विश्वविद्यालय के इस सभागार में हम एक ऐसे महामानव के विचारों की प्रासंगिकता एक सामयिक विषय के संदर्भ में खोजने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे देश के समस्त क्रिया–कलापों के नियमन, संचालन, सारी मर्यादाओं और सिद्धान्तों को एक निश्चित रूपाकार देनेवाले महान ग्रंथ – ''भारतीय संविधान'' के प्रमुख रचनाकार थे। डॉ॰ अम्बेदकर समाज के अभिवंचित वर्ग की आवाज थे – केवल इतना ही स्वीकार कर हम उनके व्यक्तित्व की विराटता के साथ शायद न्याय नहीं कर पाएँगे। बाबा साहब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के सम्पूर्ण जीवन–दर्शन, उसके समस्त क्रिया–कलापों और विरासतों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक महान राष्ट्रभक्त, उच्च आदर्शों का पालन करनेवाले राजनेता, प्रखर विचारक तथा दूरदर्शी चिन्तक के रूप में भारतीय जन–मानस में इस

तरह छाए हुए हैं कि आज किसी भी समस्या के समाधान को तलाशने में हमें डॉ॰ अम्बेडकर के विचारों की शरण में जाना ही पड़ता है।

पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में आपने मुझे संसदीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर जी के विचारों की समीचीनता और प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं डॉ॰ अम्बेडकर जी के विचारों के माध्यम से आपके बीच भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता और संभावनाओं पर कुछ विचार अभिव्यक्त करूँ।

विषय पर अपने को केन्द्रित करने के पूर्व मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूँ, जिसका पंजाब राज्य से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। इस रिश्ते को और अधिक मजबूती प्रदान करने का सुअवसर हमें निकट भविष्य में मिलने जा रहा है। यह सुअवसर तब होगा, जब हम आप गुरु गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयन्ती के अवसर पर उनकी जन्म–भूमि पटना साहिब में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के परिदर्शन का भी कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस भव्य

आयोजन में बिहार की राजधानी पटना आकर गुरु गोविन्द सिंह जी के 350वें जयन्ती समारोह को सफल बनाने की कृपा करें।

पंजाब और हरियाणा की धरती अपने देश के लिए ईश्वर का एक अनुपम वरदान है। भारत जिसे कि एक कृषि प्रधान राष्ट्र कहा गया है, उसकी कोई भूमि अगर सबसे ज्यादा उपजाऊ और 'अन्नदाता' के रूप में देश के नागरिकों की क्षुधा–पूर्त्ति कर रही है, तो वह पंजाब व हरियाणा की ही भूमि है। यहाँ के भाई–बहन अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सबसे बड़ी अपनी पूंजी राष्ट्रभक्ति की बदौलत पूरी दुनियाँ में भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी महीने हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक ने रियो ओलम्पिक में हमारे देश का सिर ऊँचा किया है।

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र, जिसे कि 'जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से एक स्वस्थ और मजबूत शासन–तंत्र' कहा गया है, यह सब भारतीय संविधान की देन है। 'भारतीय संविधान' बाबा साहब डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर जी जैसे महान दूरदर्शी चिन्तक और सिद्धान्तकार की प्रतिभा का अनमोल और अद्वितीय अवदान है।

डॉ॰ अम्बेडकर जी यद्यपि भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, तथापि अंततः उन्होंने अपना मंतव्य संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में ही दिया। संविधान सभा में, और बाद में कई अवसरों पर डॉ॰ अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा भारत के लिए कोई नई चीज नहीं

थी। उन्होंने कहा था कि 'महापरिनिब्बाना' की सूक्तियों से भी इस तथ्य की परिपुष्टि होती है। उन्होंने बताया है कि जब भगवान बुद्ध कुशीनारा में मृत्युशैय्या पर थे, तब मल्ल देश के लोग जो संसद सत्र में परिचर्चा कर रहे थे, उनको एक संदेश भेजा गया। वह संदेश संसद द्वारा संसदीय व्यवस्था के प्रति अनिवार्य प्रतिबद्धता का था। जब उन्हें बुद्ध के उपरोक्त संदेश की जानकारी मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वे सत्र समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि संसद का काम पूरा करके कुशीनारा जाएँगे। हमारे ग्रंथों में ऐसे असंख्य उदाहरण है, जो साबित करते हैं कि संसदीय शासन और लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे लिए नई नहीं है।

मित्रों, आपसब अवगत हैं कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार करते हुए हमने अपने राष्ट्र को 'भारतीय गणराज्य' के रूप में 26 जनवरी, 1950 को उद्घोषित किया। भारतीय गणराज्य और लोकतंत्र यह परम्परा हमारे देश के लिए कहीं बाहर से आयातित नहीं थी। इसकी परिकल्पना के बीज हमारे इतिहास में ही दर्ज मिलते हैं।

मैं जिस बिहार प्रान्त का संवैधानिक प्रमुख हूँ वहीं की पावन वैशाली की धरती विश्व के प्रथम गणराज्य और लोकतंत्र की जननी कही जाती है। मैं विश्व के प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वैशाली की भूमि का प्रेम और सौहार्द्र अपने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के भाईयों–बहनों के लिए लेकर आया हूँ। बिहार प्रान्त की पावन धरती प्रारम्भ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखने

वाली धरती रही है। आधुनिक युग में भी बात चाहे स्वतंत्रता आन्दोलन की हो या फिर लोकनायक जयप्रकाश जी के 'सम्पूर्ण क्रांति' के दौर की। बिहार ने बराबर जनतांत्रिक मूल्यों को अपना समर्थन दिया है तथा लोकशक्ति को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। पंजाब–हरियाणा का भी यही मिजाज रहा है और इसीलिए मैंने पहले कहा कि बिहार तथा पंजाब–हरियाणा के रिश्ते काफी नजदीकी रिश्ते हैं, दोनों के मन–मिजाज एक तरह के हैं, सांस्कृतिक– ऐतिहासिक विरासतें गौरवपूर्ण हैं और ये सभी राज्य भारत की राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को पूरी ताकत और मजबूती प्रदान करने वाले राज्य हैं।

आईये, पुनः मैं विषय पर आपका ध्यान केन्द्रित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर इस नियम का हर निर्वाचित संस्था में पालन किया जाता है कि प्रस्ताव के बिना संसदीय व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। यही वजह है कि किसी सवाल पर हमारे यहाँ वाद–विवाद तो होता है परन्तु निर्णय पर पहुँचने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम का पालन हमारे यहाँ पुराने जमाने में भी होता था। 'गुप्त मतदान' की व्यवस्था जो अभी प्रचलित है, वह भी हमारे लिए नई नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इन सब अतीत की विरासतों पर हमारी आज दृष्टि नहीं जा रही है। भारत के इतिहासकारों को इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए कि हमारे यहाँ जब यह संसदीय व्यवस्था पहले से ही काफी गहरी अपनी जड़े जमा

चुकी थी, तब फिर हमें इसकी खोज के लिए दूसरों के इतिहास के उत्खनन की क्या जरूरत थी?

पुराने जमाने में भारत पूरी दुनियाँ का नेतृत्व कर रहा था। उस समय भारतवर्ष में इतनी बौद्धिक स्वतंत्रता थी कि वह कहीं अन्यत्र दुर्लभ थी। फिर, यह पुरानी सभ्यता हमारे यहाँ कमजोर क्यों पड़ी? हमें यह विचारना चाहिए। भारत पर तानाशाहों का राज कैसे हो गया? हम संसदीय व्यवस्था से वाकिफ थे। हमें मतदान, मतों, समितियों और संसदीय व्यवस्था से जुड़ी अन्य बातों का पता था, फिर हम क्यों चूक गए और गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। हम जब इसकी वजहें तलाशेंगे तो हमें आज भी कुछ खास प्रयासों की जरूरत महसूस होगी। हमें यह जरूरी लगेगा कि हम संसदीय लोकतंत्र की शासन–पद्धति में कायम रहते हुए भी अपने जनमत–निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक धारदार बनायें और लोगों को ज्यादा जागरूक बनायें।

डॉ॰ अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की सफलता के तीन प्रमुख कारकीय तत्वों का जिक्र किया है। पहला है – वंशानुगत शासन से निषेध। दूसरा है कि कोई भी कानून जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की राय पर आधारित हो और तीसरी प्रमुख बात यह आवश्यक है कि संसदीय प्रणाली में सरकारों का एक निश्चित समयावधि पर जनता द्वारा चुना जाना सुनिश्चित किया जाये।

मित्रों, आज भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र के दोनों प्रमुख घटक, अर्थात् – विपक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन – बखूबी काम कर रहे हैं। हमारे

यहाँ विपक्ष की राय को भी अधिकतर सरकारें पूरा तवज्जो देती हैं। स्वतंत्र निर्वाचन के लिए निष्पक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग कार्यरत है। भारतीय चुनाव आयोग निरन्तर चुनाव–प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो रहे हैं। मतों की लूट आज गुजरे दिनों की बात हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में अभिवंचित वर्ग के मतदाता भी अपने मताधिकार का निर्भीकतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं भारतीय राजनीति और शासन–व्यवस्था पर विचार करनेवालों के समक्ष अत्यन्त विनम्रता के साथ रखना चाहता हूँ। और यह मुद्दा मैंने 'राज्यपालों के सम्मेलन' में भी उठाया था। कई कानूनविदों से भी मैंने इसपर मशविरा किया है और तब जाकर मुझे यह प्रतीत हुआ है कि भारतवर्ष में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था पर आनेवाले व्यय को नियंत्रित करना हमारे लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। हम पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है, राजनीतिक फायदे–घाटे की बात अगर छोड़ दी जाए तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकात्मकता को सुदृढ़ होने का मौका मिलेगा, देश की प्रगति की रफ्तार भी तेज होगी तथा हम अपने संसदीय लोकतंत्र पर लगनेवाले अत्यधिक व्यय के आरोप से भी बच सकेंगे।

मित्रों, लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन, वाल्टर बेगहोट जैसे कई चिन्तकों ने काफी सकारात्मक रूप में परिभाषित किया है; किन्तु मुझे डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर के विचार लोकतंत्र के सन्दर्भ में अत्यन्त प्रासंगिक लगते हैं। वे कहते हैं – ''संसदीय लोकतंत्र सरकार की ऐसी प्रणाली और व्यवस्था है, जिसमें सहज भाव से लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाए लाए जाते हैं।'' डॉ॰ अम्बेडकर संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली प्रमुख शर्त्त यह बताते हैं कि समाज में किसी तरह की असामनता नहीं होनी चाहिए। अर्थात्, ऐसा कोई वर्ग समाज में न हो, जिसे सारे खास अधिकार मिले हों और ऐसा भी कोई वर्ग न हो जिसके सिर पर सारा बोझ हो।

सफल संसदीय लोकतंत्र के लिए डॉ॰ अम्बेडकर ने दूसरी प्रमुख शर्त्त – मजबूत विपक्ष की मौजदूगी को माना है। भारत में द्विदलीय शासन–व्यवस्था की चर्चा कभी–कभी जोर पकड़ती है, परन्तु मुझे लगता है, इतनी सारी विविधाओं से भरे देश में – द्विदलीय – अर्थात् एक सत्ताधारी और दूसरी विपक्षी पार्टी की अवधारणा – बहुत प्रासंगिक और समीचीन नहीं होगी। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय आवश्यकताओं का परिणाम है; परन्तु इससे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की महत्ता में कमी आयेगी – ऐसा मुझे नहीं लगता। भारत की प्रबुद्ध जनता राष्ट्रीय हितों को बखूबी समझती है और इसमें आशंका का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह भी है कि भारत के सभी क्षेत्रीय दल भी राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी पूरी

प्रतिबद्धता रखते हैं। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रगों में भी वैसे ही दौड़ता है, जैसा भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में। मैं भारतीय राजनीति में भारतीय जनमानस की परिपक्वता को सकारात्मक रूप से देखने में विश्वास करता हूँ।

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कामयाबी के लिए डॉ॰ अम्बेडकर ने तीसरी प्रमुख शर्त्त – कानून तथा प्रशासन में समानता को माना है। कानूनी समानता को लेकर कोई आशंका हमारे संविधान में कभी नहीं रही, परन्तु प्रशासनिक समानता को लेकर हमें सतर्क रहना है और इसे हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

डॉ॰ अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्त्त यह भी बताया है कि सभी नागरिक संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध अवश्य रहें। भारतीय संविधान की नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब है इसके प्रति पूर्ण आस्था, इसके प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण। यह भाव अगर हममें है, तो हमें अपने संसदीय लोकतंत्र के प्रति भी पूर्ण आशावान बने रहने में कोई बाधा नहीं दिखती।

डॉ॰ अम्बेडकर व्यक्ति–पूजा को जनतंत्र के लिए हानिकारक मानते थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है – ''मैं तो इस हद तक लोकतंत्रवादी हूँ कि व्यक्ति–पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती, और इसे मैं लोकतंत्र की विकृति मानता हूँ। अपने नेता की प्रशंसा, सराहना और उसके प्रति आदर का भाव रखना अलग चीज है, किन्तु नेता की पूजा

निश्चय ही स्वीकार्य नहीं।'' यही कारण है कि डॉ॰ अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र का विकास सामाजिक लोकतंत्र के रूप में देखा। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की पूरी वकालत की, जिसमें सिर्फ राजनैतिक ही नहीं, वरन सामाजिक एवं आर्थिक समानता का भी प्रावधान हो। हम संसदीय लोकतंत्र के 'सामाजिक लोकतंत्र' में रूपान्तरण के डॉ॰ अम्बेडकर के सपने की ओर आगे बढ़ने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। भारत के संविधान की 'प्रस्तावना' डॉ॰ अम्बेडकर ने जिस रूप में तैयार की, उसके प्रति हमारा आत्मार्पण हमें निरन्तर एक सफल और उत्कृष्ट लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सम्पूर्ण विश्व में गौरवान्वित और समादृत बनाये रखने की प्रेरणा देता है। आपने मुझे इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबको बहुत–बहुत धन्यवाद!

'जय हिन्द'

प्रस्तुति–जन–सम्पर्क शाखा, राजभवन, पटना।